

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-20 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. वीरू कुमार निषाद पुत्र रतिपाल सिंह नि० मल्लाह पुरवा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-215/21, 02. विजय कुमार पुत्र प्रकाश नि० ग्राम माझाराठ थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-216/21, 03. पप्पू पुत्र मिठाई लाल नि० माझाराठ थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-217/21, 04. हरिपाल यादव पुत्र रामवरन यादव नि० माझाराठ थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-218/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बाबादीन निषाद पुत्र शिवटहल नि० केवटाही ऐली० परसौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-120/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ऊदल पुत्र त्रिवेनी नि० हरदेइया भटपुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-245/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुमिरता पत्नी खुशीराम नि० करियापुरवा रानीपुरवा जानकीनगर थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-578/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामसवारी पत्नी नायबलाल नि० उत्तर बेतिया थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 18 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-294/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.07.2021

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त अमरनाथ कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 120 अल्प्राजोलम की टेबलेट बरामद किया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अमरनाथ कुमार पुत्र भोला प्रसाद कोरी नि० धीरजापुरवा पूरे शिवा बख्तावर थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—579/21, धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. अल्प्राजोलम की 120 टेबलेट।

गिरफ्तार कर्ता—

उ०नि० धर्मराज मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल
जनपद गोण्डा दिनां 30.07.2021

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रभ्रमण के दौरान अभियुक्त तिलकराम को नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. तिलकराम पुत्र मोतीलाल नि0 चॉदपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-211/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

